न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– नये नम्बर 245/2023 **GCMS 2023/394)**

(गत नम्बर 60/2019 **RCMS 2019/00110)**

वादीगण

1. परमाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी
2. बलवीर पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. गोपीराम पुत्र भैरूराम
2. नेमाराम पुत्र भैरूराम
3. मानाराम पुत्र भैरूराम
4. रामेश्वर पुत्र भैरूराम
5. सन्तरा पुत्री भैरूराम
6. सोहनीदेवी पुत्री भैरूराम जाति कुमावत निवासीगण श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी
7. सुभाषचन्द पुत्र टीकमचन्द जाति जैन निवासी कुचामनसिटी
8. हीरादेवी पत्नी चुनाराम जाति ज़ाट निवासी रावतियो की ढ़ाणी धनकोली
9. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी
10. उप पंजियक कुचामनसिटी
11. पटवारी हल्का उगरपुरा
12. महेन्द्रसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत निवासी कांकरिये कॉलोनी कुचामनसिटी
13. तेजसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया कॉलोनी कुचामनसिटी

दावा – बाबत भू–विभाजन व इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री रमेश चौधरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता प्रति. सं. 1 से 3 की ओर से।
श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रति. सं. 8 की ओर से।
श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता प्रति. 12, 13 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 27.7.2023

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि इस न्यायालय द्वारा दिनॉक 30.01.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसकी पालना मे तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2023/313 दिनांक [illegible]3 को बंटवारा स्कीम तैयार कर इस न्यायालय को प्रेषित की गई [illegible] प्रतिवादीगण महेन्द्रसिंह, तेजसिंह, गोपीराम, नेमाराम, मानाराम द्वारा दिनांक 09.02.2023 को तहसीलदार द्वारा ..., बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

स्कीम पर एतराज प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। दूसरी ओर प्रकरण की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के यहॉ प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के पत्रांक/79 दिनॉक 10.02.2023 की पालना में इस न्यायालय द्वारा दिनॉक 13.02.2023 को आदेशिका में उक्त पत्र का हवाला देते हुए मूल पत्रावलियॉ माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के यहॉ प्रेषित की गई।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के यहॉ अपील सं. 18/2023/223/नागौर महेन्द्रसिंह बनाम परमाराम वगैरह दर्ज होकर बाद सुनवाई दिनॉक 13.07.2023 को निर्णय पारित कर ***" उपर्युक्त विवेचानुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के राजस्व वाद सं. 60/2019 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनॉक 30.01.2023 की पुष्टि की जाती है। "*** मूल पत्रावली प्रेषित की गई।

प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की गई तथा उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। चूँकि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की भी माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा अपने निर्णय दिनॉक 13.07.2023 से पुष्टि की जा चुकी है इसलिए अन्य प्रार्थना–पत्र एवं ओर किसी भी तरह से पक्षकारान को सुना जाना उचित प्रतीत नही होता है। केवल मात्र अंतिम डिक्री जारी करने पर ही सुना जाना न्यायोचित है। अतः प्रकरण में मूल प्रकरण में अन्तिम डिक्री पर बहस सुनी गई।

प्रतिवादी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनॉक 09.02.2023 पर उनको सुना जावें। प्रार्थना–पत्र पर दोनो पक्षो को सुना गया। उपलब्ध प्रार्थना–पत्र एवं उसमें अंकित तथ्यों का अध्ययन किया गया। प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया है कि तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में उनके हस्ताक्षर नही है तथा खसरा नम्बर 330, 340 का रिपोर्ट में अंकन नही है एवं नजरी नक्शे अनुसार उनका हिस्सा मौका रिपोर्ट में नही बताया गया है।

प्रार्थना–पत्र दिनॉक 09.02.2023 मे उपरोक्त समस्त कथन मनगढ़त प्रतीत होते है जबकि बंटवारा स्कीम में तहसीलदार के हस्ताक्षर है तथा खसरा नम्बर 330, 340 को भी दर्शाया गया है तथा संबंधित खातेदारान पक्षकारान का जिक्र किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र 09.02.2023 खारिज किया जाता है।

दिनॉक 26.07.2023 को प्रार्थना–पत्र 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर कथन किया है कि दावे में जवाब दावे के साथ काउन्टर क्लेम पेश किया गया है इसलिए साक्ष्य लिए बिना प्राथमिक व अन्तिम डिक्री जारी नही की जा सकती, भैरूराम की पुत्रिया द्वारा हक त्या कर दिया गया है इसलिये निर्णय में प्रतिवादी 1 ता [illegible]सी घोषित होना चाहिये था, अतः प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को काउन्ट[illegible]रने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे तथा साक्ष्य लेकर ही निर्णय व प्राथमिक [illegible] पारित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) [seal]

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब संबंधित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही करना चाहा। बहस सुनी गई। इस न्यायालय की आदेशिका दिनॉक 09.01.2023 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि से संबंधित दो प्रकरण एक ही भूमि सें संबंधित होने से उभय पक्षकारान के निवेदन पर समेकित किये जाकर उनके आग्रह पर एवं सहमति प्रदान करने पर ही प्राथमिक डिक्री जारी के आदेश जारी किये गये। इसलिए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकार के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को बेवजह लंबित किये जाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार यह प्रार्थना–पत्र पोषणीय नही होने से एवं गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करने से खारिज किया जाता है।

दौराने सुनवाई प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा हक त्याग पत्र दिनॉक 13.03.2019 सन्तरा देवी सोहनीदेवी पुत्रिया भैरूराम श्रवणपुरा ने अपने भाईयो गोपीराम नेमाराम मानाराम पि. भैरूराम कुम्हार श्रवणपुरा के पक्ष में खसरा नम्बर 326, 325, 330, 340 से संम्बन्धित है। जमाबंदी की नकल अनुसार उक्त हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं. 251 दिनॉक 25.06.2019 भरा जाकर प्रक्रियाधीन है। प्रस्तुत हक त्याग पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गई जो साक्ष्य अधिनियम अनुसार फोटो प्रति होने से साक्ष्य में ग्राह्रय नही है। उक्त हक त्याग पत्र का जिक्र प्राथमिक डिक्री आदेश में विस्तार से वर्णन किया गया है तथा महेन्द्रसिंह तेजसिंह द्वारा गोपीराम वगैरह से क्रय भूमि में भी टंकित किया गया है।

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा स्कीम पत्रांक/भू.अ./2023/313 दिनॉक 07.02.2023 द्वारा मौका फर्द बंटवारा स्कीम दिनॉक 06.02.2023 को अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 325, 326, 330, 340 में नजरी नक्शा तैयार किया गया। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 326 कुल रकबा 5.47 हैक्टर में मार्क **A** पर प्रतिवादी सं. 4, 12, 13 हि. 3/40 व 15/40, मार्क B पर प्रतिवादी सं. 7 हि. 3/20, मार्क **C** वादीगण व हणमानराम पुत्र जीवणराम हि 5/48, 5/48 व 1/24, मार्क **D** प्रतिवादी सं. 8 हि 3/20, मार्क **E** रकबा 0.07 हैक्टर सभी सह–खातेदारान के रास्ता 04 मीटर चौड़ाई उपयोग हेतु शामलाती रहेगी। मार्क **F** प्रतिवादी सं. 4 के हिस्से में मार्क **A** व **F** में कुल हिस्से 3/40 अनुसार कब्जा काश्त होना बताया। खसरा नम्बर 325 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु.कुआ वादी परमाराम के हि. 5/48 बलवीर के हि. 5/48 प्रति. मोहनी देवी पुत्री भैरूराम के ह. 3/32 प्रतिवादी रामेश्वर पुत्र भैरूराम के हि. 3/32 प्रतिवादी महेन्द्रसिंह व तेजसिंह के हि. 15/32 हणमानराम पुत्र जीवणराम के हि. 1/24 प्रतिवादी हीरादेवी पत्नि चुनाराम के हि. 3/32 के हिस्से में होना बताया गया। खसरा नम्बर 330 रकबा 0.12 हैक्टर व खसरा नम्बर 340 रकबा 1.08 हैक्टर में भैरू पुत्र गोमा के वारिसान (गोपीराम, मानाराम, नेमाराम, [illegible] सोहनी वगैरह) के हिस्से मे 3/4 हि. धन्नाराम पुत्र सुखाराम के [illegible] के हिस्से में 1/6 हि. व हणमानराम पुत्र जीवणराम के हिस्से में 1/12 हि. [illegible] बताया गया। खसरा नम्बर 330 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

340 का मौके पर विभाजन सहखातेदारान द्वारा नही किया हुआ होना बताया व संयुक्त खातेदारी में रखने की इच्छा व्यक्त की। मौके पर उपस्थित पक्षकार व मौतबिरान ने नजरी नक्शा में अंकित अनुसार काबिज होना बताया।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री पर बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका फर्द बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 325, 326, में नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 326 कुल रकबा 5.47 हैक्टर में मार्क **A** पर प्रतिवादी सं. 4, 12, 13 हि. 3/40 व 15/40, मार्क B पर प्रतिवादी सं. 7 हि. 3/20, मार्क **C** वादीगण व हणमानराम पुत्र जीवणराम हि 5/48, 5/48 व 1/24, मार्क **D** प्रतिवादी सं. 8 हि. 3/20, मार्क **E** रकबा 0.07 हैक्टर सभी सह–खातेदारान के रास्ता 04 मीटर चौड़ाई उपयोग हेतु शामलाती रहेगी। मार्क **F** प्रतिवादी सं. 4 के हिस्से में मार्क **A** व **F** में कुल हिस्से 3/40 तथा खसरा नम्बर 325 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु.कुआ वादी परमाराम के हि. 5/48 बलवीर के हि. 5/48 प्रति. मोहनी देवी पुत्री भैरूराम के हि. 3/32 प्रतिवादी रामेश्वर पुत्र भैरूराम के हि. 3/32 प्रतिवादी महेन्द्रसिंह व तेजसिंह के हि. 15/32 हणमानराम पुत्र जीवणराम के हि. 1/24 प्रतिवादी हीरादेवी पत्नि चुनाराम के हि. 3/32 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। पक्षकारान/खातेदारान को मौका फर्द बंटवारा स्कीम दिनॉक 06.02.2023 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 27.7.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:51 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 60/2019 **RCMS 2019/00110**

वादीगण

1. परमाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी
2. बलवीर पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. गोपीराम पुत्र भैरूराम
2. नेमाराम पुत्र भैरूराम
3. मानाराम पुत्र भैरूराम
4. रामेश्वर पुत्र भैरूराम
5. सन्तरा पुत्री भैरूराम
6. सोहनीदेवी पुत्री भैरूराम जाति कुमावत निवासीगण श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी
7. सुभाषचन्द पुत्र टीकमचन्द जाति जैन निवासी कुचामनसिटी
8. हीरादेवी पत्नी चुनाराम जाति जाट निवासी रावतियो की ढ़ाणी धनकोली
9. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी
10. उप पंजियक कुचामनसिटी
11. पटवारी हल्का उगरपुरा
12. महेन्द्रसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत निवासी कांकरिये कॉलोनी कुचामनसिटी
13. तेजसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत निवासी कांकरिया कॉलोनी कुचामनसिटी

दावा – बाबत भू–विभाजन व इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री रमेश चौधरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया, श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 325, 326, में नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 326 कुल रकबा 5.47 हैक्टर में मार्क **A** पर प्रतिवादी सं. 4, 12, 13 हि. 3/40 व 15/40, मार्क B पर प्रतिवादी सं. 7 हि. 3/20, मार्क **C** वादीगण व हणमानराम पुत्र जीवणराम हि 5/48, 5/48 व 1/24, मार्क **D** प्रतिवादी सं. 8 हि 3/20, मार्क **E** रकबा 0. 07 हैक्टर सभी सह–खातेदारान के रास्ते 04 मीटर चौड़ाई उपयोग हेतु शामलाती रहेगी। मार्क **F** प्रतिवादी सं. 4 के हिस्से में मार्क A व उनके हिस्से 3/40 तथा खसरा नम्बर 325 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु.कुआ वादी परमाराम के हि. 5/48 बलवीर के हि. 5/48 प्रति.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:35:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मोहनी देवी पुत्री भैरूराम के ह. 3/32 प्रतिवादी रामेश्वर पुत्र भैरूराम के हि. 3/32 प्रतिवादी महेन्द्रसिंह व तेजसिंह के हि. 15/32 हणमानराम पुत्र जीवणराम के हि. 1/24 प्रतिवादी हीरादेवी पत्नि चुनाराम के हि. 3/32 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। पक्षकारान/खातेदारान को मौका फर्द बंटवारा स्कीम दिनॉक 06.02.2023 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27 माह 07 सन 2023 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक/कोर्ट/2023/ 129 दिनॉकः—27/7/2023

प्रेषित :— तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :— राजस्व प्रकरण वाद सं. 60/2019 **RCMS 2019/00110** परमाराम बनाम गोपीराम वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण वाद सं. 60/2019 **RCMS 2019/00110** परमाराम बनाम गोपीराम वगैरह में पारित डिक्री आदेश की प्रति पालना हेतु भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

सलंग्नः—उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू-अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक / भू-अ. / 2023 / 313 दिनांक - 07.02.2023

प्रेषित -

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय - राजस्व वाद सं. 60 / 2019 परमाराम बनाम गोपीराम वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 60 / परमाराम बनाम गोपीराम वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष भू.अ.नि. कुचामनसिटी व पटवारी हल्का उगरपुरा की उपस्थिति में तैयार करवाई गई है। अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:51 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं कुलदीप ....(नाम) तहसीलदार कु. सिंहे, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कु. सिंहे .... के आदेश कमांक/कोर्ट/2023/17 दिनांक 30.1.2023 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 6/2/23 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर-325, 326, 330, 340 वाके ग्राम ऊदरामपुरा पटवार हल्का ऊदरामपुरा .... पर श्री .... नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कु. सिंहे .... में विचाराधीन प्रकरण संख्या-60/2019 .... के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक ....मुनादी.. दिनांक 6.2.2023 .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	हरिकौर	w/o बुन्नाराम		जाट	प्र.सं. 8
2	रामधन	भैराराम		कुम्हार	प्र.सं. 4
3.	बलबीर	धन्नाराम		जाट	वादी
4.	महेन्द्रसिंह	भैरोसिंह		राजपूत	प्र.सं. 12
5.	तेजसिंह	रतनसिंह		-"-	प्र.सं. 13
6.	नेमाराम	भैराराम		कुम्हार	प्र.सं. 02
7.	मानाराम	"		"	प्र.सं. 03

हरि देवी
वीरेन्द्र
बलवीर चौधरी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

संलग्न मौका फर्द अनुसार

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:51 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1.	[illegible]			[illegible]	[illegible]
2	[illegible]				
3.	[illegible]			[illegible]	

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
1	[illegible] सिंह	रतन सिंह		राजपूत	[illegible]
2	[illegible] सिंह	[illegible] सिंह		,,	,,
3	[illegible]	[illegible]		कुमावत	,,
4	[illegible]	[illegible]		,,	,,

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/. मोबाईल नं..
1.	[illegible]				[illegible]
2	[illegible]				[illegible]
~~3~~	~~[illegible]~~				
3.	राकेश कुमार / [illegible]				[illegible]
4.	रामदेव / मोहनराम				रामदेव

इस प्रकार आज दिनांक............... को यह मौके [illegible] तैयार की गई है।

06.2.23

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	ना. तह.	तहसीलदार
पं. मं.	वृत............	....	....

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:51 IST
Reason: SelfAttested

मौका फर्द बंटवारा स्कीम

आज दिनांक 06/2/2023 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक /कोर्ट/2023/17 दि. 30.1.2023 की पालना में राजस्व प्रकरण वाद सं. 60/2019 RCMS 2019/00110 परमाराम बनाम गोपीराम वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा स्कीम तैयार करने हेतु भू.अ.नि. कु.सिटी व प०ह० उगरपुरा के साथ ग्राम अणतपुरा के ख.नं. 325, 326, 330, 340 के मौके पर पहुंचा। मौका स्थिति व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त ख.नं. पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधि. कु.सिटी, सिविल न्यायाधीश कु.सिटी व राजस्व मण्डल राज., अजमेर द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश प्रभावी है। मौके पर पक्षकारान उपस्थित मिले। मौके पर उपस्थित पक्षकारान व पड़ोसियों से मिन नजरी नक्शानुसार वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होना बताया,

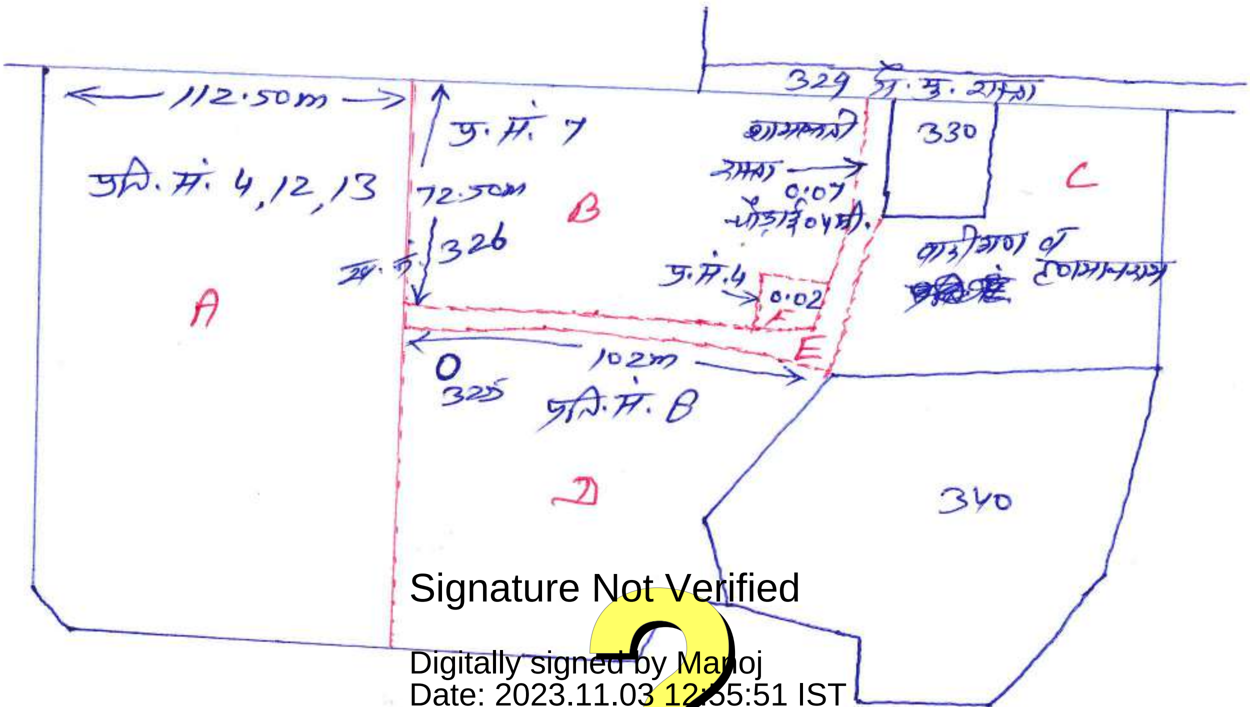

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:51 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त नजरी नक्शानुसार ख.नं. 325 कुल रकबा 5.47 है० में मार्क A पर प्रतिवादी सं. 4,12,13 हि. 3/40 व 15/40 मार्क B पर प्रतिवादी सं. 7 हि. 3/20 मार्क C वादीगण व स्वामीनारायण पुत्र भींवाराम हि. 5/48, 5/48 व 1/24 मार्क D प्रतिवादी सं. 8 हि. 3/20 मार्क E रकबा 0.07 है० मार्ग

— लगातार —

— निशान - 2 (81)

(04 मीटर चौड़ाई)

मदखलेशान के मौका उपयोग हेतु आमरास्ता रहेगी। मार्क F प्रति.सं. 4 के हिस्से में मार्क A व F में कुल हिस्से 3/40 अनुसार कब्जा काश्त होना बताया। ख.नं. 325 रकबा 0.03 है. में मु. कुआँ वाकी परसाराम के हि. 5/48 बलबीर के हि. 5/48 प्रति. मोहनी-देवी पुत्री भैराराम के हि. 3/32 प्रतिवादी रामेश्वर पुत्र भैराराम के हि. 3/32 प्रतिवादी महेन्द्रसिंह व भूपसिंह के हि. 15/32 छगनाराम पुत्र जीवणराम के हि. 1/24 प्रतिवादी हीरादेवी पत्नि पुनाराम के हि. 3/32 के हिस्से में होना बताया गया। ख.नं. 330 रकबा 0.12 है व ख.नं. 340 रकबा 1.08 है में भैरू पुत्र गोमा के वारिसान (गोमाराम, मानाराम, नेमाराम, रामेश्वर, मोहनी वगैरह) के हिस्से में 3/4 हि. खेताराम पुत्र सुखाराम के वारिसान (परसा-राम, बलबीर) के हिस्से में 1/6 हि. व छगनाराम पुत्र जीवणराम के हिस्से में 1/12 हि. होना बताया गया। ख.नं. 330 व 340 का मौके पर विभा-जन मदखलेशान द्वारा नहीं किया हुआ होना बताया व संयुक्त खातेदारी में रखने की इच्छा व्यक्त की। उपरोक्तानुसार माननीय न्यायालय आदेशानुसार बंटवारा स्कीम तैयार की तथा उपरोक्तानुसार ही मद-खलेशान भौतिक विभाजन करवाना चाहते है। अतः पक्षकारान कौना फर्द तैयार कर पढ़कर सुनाई गई व हस्ताक्षर करवाये गये।

Gmatharam

Rakesh

LR पटवारी

[signature] भू. अभि. निरी. उगरपुरा

रामदेव

हिरादेवी

रामेश्वर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:51 IST
Reason: SelfAttested

नि.नि. मुन्नी देवी

06.2.23
Tdr, Kat